न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 176/2025 बउनवानी तुलसी देवी **बनाम** उपजिला कलेक्टर बौली
पत्नि श्री हरिमोहन जॉगिड निवासी मलारना डूँगर

GCMS No-2025/343

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
22.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.09.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया गया था पर की गई कार्यवाही की संपूर्ण सूचना**" उपजिला कलेक्टर बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सूआ/2025/3980 दिनांक 22.12.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2025 मे चाही गयी सूचना उप जिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक 3563 दिनांक 17.10.2025 द्वारा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 23.09.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना उप जिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक/आरटीआई/25/3563 दिनांक 17.10.2025 द्वारा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner